14/6/24

पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष वकील उप.। प्रार्थीगण वकील ने तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 289,830,832,833,928,929 कुल रकबा 5.18 हैक्टयर भूमि हम प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 01 ता 04 की संयुक्त खातेदारी आई हुई है। उक्त आराजी पूर्व में हमारे दादा दाना पुत्र रूपा के नाम से प्रथम सेटलमेंन्ट के समय से चली आ रही है। उक्त आराजी का हमारे स्व. दादा दाना ने जीवनकाल में ही उक्त आराजी मेमं 1/4-1/4 हिस्सा अनुसार तीनों भाईयों जोधा,ठाकरा,हरू व चौथे भाई भीयाराम फौत के वारिशों को बंटवाड़ा करके दी थी । इस प्रकार उक्त आराजी हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 की पैतृक सम्पति होने से उक्त को बाद में आगे से आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित की जायेगी। उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा किये बिना स्व. जोधा के फौत पुत्र बाबूराम के वारिस पौत्र रमेश,ईश्वर,इन्द्रा व मोहनी बैवा बाबूराम के परिवार वाले किसी अजनबी व्यक्ति को हमारी पीठ पीछे भूमि बैचान करने की कोशिश की जा रही है। अप्रार्थीगण हमारे बंट वाली भूमि किसी अजनबी से निर्माण कार्य करवाने पर तुले हुए है। अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हुये तो हम प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी एवं अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। इस प्रकार तीनों मूलीभूत कानूनी स्तम्भ प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्वांत हम प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को ताफैसले तक मेरे कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वंय दखलदांजी करे एवं न ही किसी अन्य से करावे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण जारी फरमावे।

अप्रार्थीगण वकील ने घोर विरोध करते हुए निवेदन किया कि उक्त आराजी में हम अप्रार्थीगण के पिता/पति स्व.बाबूलाल का 1/3 हिस्सा हक हकूक कब्जा उपयोग का था। हम अप्रार्थीगण वंशानुगत कदीमी निरन्तर कब्जा उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने गलत वंशावली पेश कर हम अप्रार्थीगण की मालिकाना हक हकूक की भूमि को जबरन हड़प करना चाहते है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की आराजी है, जिसके कण–कण पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी पर सभी खातेदार कब्जा–काश्त है एवं अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। वादग्रस्त आराजी पर स्थगन होने से कृषि कार्य हेतु ऋण–के.सी.सी. फौतदगी नामान्तरकरण एवं अन्य बाधा उत्पन्न हे रही है। ऐसी सुरत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से तथा वादग्रस्त आराजी के अप्रार्थीगण सहखातेदार होने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमनें उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का अवलोकन व अध्ययन किया। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तह.–सांचौर के खेत खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर क्रमशः 289,830,832,833,928,929 कुल रकबा 5.18 हैक्टयर आराजी पर अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व रेकर्ड का स्थगन अपास्त किया जाता है और मौके की यथास्थिति अप्रार्थीगण बनाये रखने का स्थगन यथावत रहेगा। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला तक जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व मूल वाद के साथ संलग्न हो।

14/6/24

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner